न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

मुत.(6ए)संख्या 02/23 वर्ष 2023

GCMS NO :–2023/18

बउनवानीः–सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी सवाईमाधोपुर, जिला सवाई माधोपुर

बनाम

1. मैसर्स श्याम रेस्टोरेन्ट, आलनपुर सवाईमाधोपुर
2. श्री ब्रहानन्द शर्मा पुत्र श्री रघुनन्दन शर्मा निवासी शनि मंदिर के सामने हाउसिंग बोर्ड सवाईमाधोपुर

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ऐ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955)

उपस्थित :– श्रीमति पूजा मीना (प्रवर्तन निरीक्षक) पैरोकार, रसद
श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा वकील अप्रार्थी

–: निर्णय :– दिनांक 20.9.2024

प्रवर्तन अधिकारी, सवाईमाधोपुर द्वारा दिनांक 16.01.2023 को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के नियम 6 ऐ के तहत इस न्यायालय मे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 03.01.2023 को घरेलु एल.पी.जी.गैस का अवैध व्यवसायिक कार्यो मे दुरूपयोग रोकने हेतु गठित संयुक्त जॉच दल द्वारा की गयी जॉच के दौरान अप्रार्थी अपनी फर्म मैसर्स श्याम रेस्टोरेन्ट, आलनपुर सवाईमाधोपुर पर घरेलू गैस सलेण्डर को व्यवसायिक कार्यो मे अवैध उपयोग लेते हुये पाये जाने पर जब्त कर कब्जे राज लिये गये दो गैस सिलेन्डर को राजसात (Confiscate) किये जाने बाबत निवेदन किया गया।

प्रकरण न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करने पर दर्ज पंजिका में इन्द्राज किया जाकर सुनवायी हेतु अप्रार्थी की तलबी जरिये नोटिस की गयी।

तत्पश्चात् बहस पैरोकार रसद एवं वकील अप्रार्थी सुनी गयी ।

पैरोकार रसद ने दौराने बहस प्रवर्तन निरीक्षक सवाईमाधोपुर की ओर से इस न्यायालय में दिनांक 16.01.2023 को अन्तर्गत धारा 6 (ऐ) आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि संयुक्त जॉच दल के साथ श्री ज्ञानचन्द,प्रवर्तन अधिकारी सवाईमाधोपुर एवं श्री मुनेश मीना, प्रवर्तन निरीक्षक, सवाईमाधोपुर द्वारा विभागीय निर्देशों की पालना में एलपीजी गैस के अवैध दुरूपयोग की जॉच हेतु दिनांक 3.01.2023 को अप्रार्थी की श्याम रेस्टोरेन्ट, आलनपुर सवाईमाधोपुर पर पहुँचकर आकस्मिक जॉच की गई। मौके पर वरवक्त जॉच फर्म के मालिक श्री ब्रहानन्द पुत्र रघुनन्दन शर्मा निवासी शनि मंदिर के सामने हाउसिंग बोर्ड स0मा0 उपस्थित मिले जिनकी उपस्थिति में जॉच की गयी। वरवक्त जॉच मौके पर 14.2. किलोग्राम के 2 घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग रबर के पाईप व रेगूलेटर को चूल्हे से जोडकर चूल्हे पर ग्राहको के लिए खाना, रोटी सब्जी बनाने इत्यादि व्यावसायिक कार्य मे लेते हुए पाया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा अपनी फर्म पर घरेलू गैस सलेण्डर का व्यवसायिक कार्य में उपयोग किया जाना पाया गया। अतः द्रवित पेट्रोलियम गैस (वितरण एवं विनियमन) आदेश 2000 की शर्त संख्या 3(1)(क)(ख)(ग)(घ) एवं 7 (ग) का उल्लंघन किये जाने के फलस्वरूप व्यवसाय स्थल पर पाये गये निम्न घरेलू गैस सलेण्डर को जब्त कर दुरूपयोग रोकने की दृष्टि से कब्जेराज लिया जाकर निम्नानुसार जब्त [illegible] सलेण्डर का निरीक्षण पर्चा,फर्द अभिग्रहण,व सुपुर्दगीनामा, मौके पर तैयार कर मैसर्स [illegible] गैस सर्विस सवाईमाधोपुर के प्रतिनिधी श्री पुनीत गर्ग पुत्र श्री हुकमचन्द [illegible] सुरक्षित रखने हेतु सुपुर्दगी मे दिये गये है। मौके पर से निम्न विवरणानुसार गैस सिलेण्डर जब्त किये गये है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Khushaal Yadav
Date: 2024.09.26 15:46:18 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. खुशाल यादव)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

(मुत. 6ए संख्या 02/23 सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक बनाम मैसर्स श्याम रेस्टोरेन्ट)

क. स.	कम्पनी का नाम	एस.आर.नम्बर	खाली सिलेण्डर का विजन कि.ग्रा.	मौके पर वजन किये गये सिलेण्डर का भार	शुद्व गैस
1	आईओसीएल	471844	15.7	17.5	1.8
2	बीपीसीएल	102604	15.3	16.2	0.9

अप्रार्थी का उक्त कार्य आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध की श्रेणी मे आता है। अतः प्रस्तुत 6 ए प्रार्थना पत्र स्वीकार कर जब्त किये गये 2 गैस सिलेन्डर को राजसात किये जाने बाबत पैरोकार रसद द्वारा निवेदन किया गया।

विद्वान वकील अप्रार्थी द्वारा दौराने बहस कथन किया कि जॉच दल द्वारा प्रार्थी की होटल से 2 गैस सलेण्डर अवैधानिक तरीके से मनमानी पूर्वक जब्त किये गये है, क्योकि मौके पर केवल एक गैस सिलेण्डर ही होटल स्टॉफ के लिए खाना बनाने के काम मे लिया जा रहा था शेष 1 गैस सिलेण्डर किसी परिचित का था जो खाली होने पर भरवाने के लिए लेकर आया था परन्तु कोई आवश्यक कार्य आ जाने के कारण दुकान पर रख कर चला गया था उक्त सलेण्डर को बाद मे आकर भरवाता किन्तु इसी दौरान जॉच दल द्वारा जब्त कर लिया। वरवक्त निरीक्षण प्रार्थी की फर्म पर कोई ग्राहक नही थे इसलिए फर्म पर निरीक्षण के समय कोई खाना नही बनाया जा रहा था। यह भी तर्क दिया प्रार्थी द्वारा अपनी होटल पर व्यवसायिक गैस सिलेण्डर का ही उपयोग किया जाता है घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग नही किया जा रहा था। अतः प्रवर्तन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत 6ए प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर प्रार्थी के जब्त 2 गैस सलेण्डर वापस लोटाये जाने बाबत निवेदन किया गया।

पैरोकार रसद एवं वकील अप्रार्थी को सुनने एवं संबंधित पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि अप्रार्थी की होटल से प्रवर्तन अधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा दिनांक 3.1.2023 को जॉच के दौरान जब्त किये गये 2 गैस सलेण्डर का अप्रार्थी द्वारा अपनी होटल पर ग्राहको के लिए रोटी, सब्जी बनाकर व्यवसायिक कार्य में उपयोग किये जाने की पुष्टि पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड एवं पैरोकार रसद द्वारा किये गये कथन हो जाती है। वकील अप्रार्थी के अनुसार एक गैस सिलेण्डर स्टॉफ के लिए खाना बनाने तथा अन्य 1 गैस सिलेण्डर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा गैस भरवाकर घर ले जाने के लिए रखे गये थे। किन्तु उक्त गैस सलेण्डर किस व्यक्ति था तथा कब से दुकान पर रखा हुआ था तथा उसके द्वारा उक्त गैस सलेण्डर की सुपुदर्गी बाबत न्यायालय मे कोई प्रार्थना पत्र भी पेश नही किया गया है। इसलिए उक्त गैस सिलेण्डर को भरवाकर/भरवाने के लिए दुकान पर रखे जाने बाबत किये गये कथन तथा दुकान पर व्यवसायिक गैस सलेण्डर उपयोग मे लेने बाबत किये गये कथन की पुष्टि नही होती है। ऐसी स्थिति में प्रवर्तन अधिकारी स0मा0 द्वारा की गयी जब्ती कार्यवाही में कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रवर्तन अधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा प्रस्तुत 06 ऐ प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वरवक्त जॉच कब्जे राज लिये गये उक्त 2 गैस सिलेन्डर को राजसात (Confiscate) किया जाता है। जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण मे जब्त 2 गैस सलेण्डर का निस्तारण करवाकर निस्तारण से प्राप्त राशि को राजकोष मे जमा करवाकर पालना रिपोर्ट अन्दर एक माह इस न्यायालय को भिजवावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 20.9.2024 को खुले न्यायालय में लिखाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Khushaal Yadav
Date: 2024.09.26 15:46:18 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. खुशाल यादव)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner